न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 75/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुफेदी पत्नि जस्सा पुत्री छोटू जाति मेव निवासी ग्राम हुसेपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

2. नबली पत्नि रहमत पुत्र छोटू जाति मेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

:——— अपीलांट प्रतिवादीगण

बनाम

1. हुरमत पुत्र जबर खां जाति मेव निवासी ग्राम हुसेपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:—— रेस्पो0 वादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 1.6.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री दमनकुमार यादव, कमरूद्दीन ।

निर्णय दिनांक 16.2.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 06/2009 में पारित निर्णय दिनांक 1.6.2009 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 में दिया गया निर्णय दिनांक 31.3.2009 अपास्त किया किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2009 यथावत रखे गये थे ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र संख्या 154/2005 उनवान हुरमत बनाम सुफेदी वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट पेश किया था, जो प्रतिवादीगण की इकतरफा में दिनांक 6.1.2009 को डिक्री किया गया था । इसके पश्चात प्रतिवादीगण ने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिये तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 पेश किया गया था, जो दिनांक 31.3.2009 को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2009 अपास्त किया गया था । इसके बाद वादी ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0 डी0 भिजवाई गई थी । दिनांक 4.4.2008 को दोनों प्रतिवादीगण ने पोस्टमैन से तामील प्राप्त की तथा ऐ0 डी0 पर अपने अपने निशानी अंगूठा लगाया है । परन्तु बावजूद तामील प्रतिवादीगण अदालत में पेश नहीं हुये थे, इसलिये उनकी एकतरफा सही तौर पर की गई है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 31.3.2009 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 पेश किया, जो प्रार्थना पत्र वादी को बिना नोटिस दिये, बिना सुने ही उसी दिन खिलाफ कानून स्वीकार कर डिक्री निरस्त कर दी । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री दिनांक 6.1.2006 यथावत रखी जावे । तहत न्यायालय ने वादी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2009 खारिज कर डिक्री दिनांक 6.1.2009 यथावत रखी गई थी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि वाद पत्र में हम प्रतिवादीगण अपीलांटस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी । हमारी गलत तौर पर इकतरफा कर दी गई थी, जिसको खुलवाने के लिये हमने आदेश 9 नियम 13 का प्रा0 पत्र पेश किया था, जो सही तौर पर स्वीकार किया गया था, परन्तु वादी ने धारा 47 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर दिया । जबकि हमारी कोई तामील नहीं हुई थी । स्वयं तहत न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 के निर्णय में यह स्वीकार किया था कि प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई थी । इसके बावजूद वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सी0 पी0 सी0 गलत तौर पर स्वीकार कर लिया गया । वादी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है,क्योंकि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है ।

Scanned by CamScanner

रिव्यू का प्रार्थना पत्र तभी लगाया जा सकता है, जबकि कोई नये तथ्ये सामने आये । प्रस्तुत प्रकरण में कोई नये तथ्य नही है । तामील का बिन्दू पूर्व मे ही हमारे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 मे विवेचित हो चुका था । अब पुन: उसी बिन्दू को लेकर रिव्यू का प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया जा सकता । अत: निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2016 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1277, 2014 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1454 का हवाला दिया ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह सही है कि रिव्यू का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है । परन्तु जब न्यायालय के ध्यान मे कोई तथ्य नहीं आते है या फिर कोई तथ्य न्यायालय द्वारा विवेचन से रह जाते हैं तो इसकी दुरुस्ती हेतु रिव्यू का प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है । अपीलांट ने अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 मे यह तथ्य गलत प्रकार से पेश किया था कि उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है । जबकि प्रतिवादीगण अपीलांटस की जरिये रजिस्टर्ड ए0 डी0 तामील कराई गई थी । तामील नोटिस पर इनके अगूठा निशानी है । इस तथ्य को ध्यान में लाने के लिये ही मैंनें रिव्यू का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो सही तौर पर स्वीकार किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया तथा अपीलांट द्वारा पेश नजीरों का अध्ययन किया । इन नजीरों में प्रतिपादित किया गया है कि रिव्यू का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है । अपीलांट द्वारा पेश नजीर 2014 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1454 के पैरा नम्बर 07 में प्रतिपादित किया गया है कि पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र मात्र निम्न आधारों पर स्वीकार किया जा सकता है :–

(1) निर्णय अथवा आदेश पारित करने के उपरान्त नवीन और महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी, जो कि पूर्व में सम्यक तत्परता के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे या

(2) ऐसी भूल या गलती, जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो, या

(3) अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सी0 पी0 सी0 में कोई नये तथ्य पेश नहीं किये हैं । उसने अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण की तामील के सम्बन्ध में ही तथ्य पेश किया है । यह तथ्य पूर्व में ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 में विवेचित हो चुका था । पुनः उसी तथ्य को आधार बनाकर रिव्यू का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता । विद्वान तहत न्यायालय ने भी रिव्यू के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानों का अध्ययन नहीं किया । लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश की गई नजीरों मे

Scanned by CamScanner

प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सी0 पी0 सी0 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2009 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 45/2009 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2009 यथावत रखा जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र संख्या 45/2009 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2009 के परिप्रेक्ष्य में वाद पत्र में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई दिनांक 16.3.2017 को उपस्थित हो ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner